भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **170**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 02 फरवरी, 2024/13 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है।

स्वदेशी रसायनों और उर्वरकों का उत्पादन

170. श्री संजय जाधव:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में स्वदेशी रसायनों और उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा जनजातीय और दूरस्थ/दुर्गम क्षेत्रों, विशेषकर महाराष्ट्र में उर्वरकों के सुचारू वितरण के लिए क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या देश में उर्वरक उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप मानकीकृत करने और उन्हें वैश्विक बाजार के अनुकूल बनाने के लिए कोई विशिष्ट प्रणाली आरम्भ की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क): यूरिया के संबंध में सरकार ने 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 और 7 अक्तूबर, 2014 को इसके संशोधन की घोषणा की थी ताकि यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुकर बनाया जा सके और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। एनआईपी-2012 के अंतर्गत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। इसलिए, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है, जिससे कुल यूरिया उत्पादन क्षमता 2014-15 में 207.54 एलएमटीपीए से बढ़कर वर्तमान में 283.74 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अतिरिक्त, कोयला गैसीकरण मार्ग से 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की

संयुक्त उद्यम कंपनी नामत: तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तलचर इकाई के पुनरुद्धार के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अपने उद्देश्यों में से एक स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करने के उद्देश्य के साथ मौजूदा 25 गैस आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की थी। एनयूपी-2015 से वर्ष 2014-15 के दौरान के उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटीपीए का अतिरिक्त यूरिया उत्पादन हुआ है। इन कदमों से यूरिया उत्पादन 2014-15 के 225 एलएमटी प्रति वर्ष के स्तर से बढ़कर 2022-23 के दौरान 284.94 एलएमटी हो गया है।

पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में, सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए 1.4.2010 से पोषकतत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति कार्यान्वित की है। इस नीति के अंतर्गत, पीएंडके उर्वरकों पर उनकी पोषकतत्वों की मात्रा के आधार पर वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई राजसहायता की एक नियत राशि प्रदान की जाती है। चूँकि पीएण्डके उर्वरक क्षेत्र मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत आते हैं, अत: कंपनियां बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्राप्त अनुरोधों की जांच के आधार पर उर्वरक कंपनियों को उनकी विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करने और एनबीएस के अंतर्गत नई पीएण्डके कंपनियों और उर्वरक उत्पादों को शामिल करने की अनुमति प्रदान की जाती है ताकि देश को पीएंडके उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए, खरीफ 2022 से एसएसपी पर मालभाड़ा राजसहायता लागू की गई है और रबी 2021-22 से शीरे से प्राप्त पोटाश (पीडीएम), जो 100% स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, को एनबीएस के तहत अधिसूचित किया गया है।

जहां तक रसायनों का संबंध है, सरकार ने घरेलू डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित करने के लिए क्लस्टर विकास दृष्टिकोण के माध्यम से सामान्य सुविधाओं को सक्षम बनाने के लिए अपेक्षित अत्याधुनिक अवसंरचना के साथ आवश्यकता आधारित प्लास्टिक पार्कों की स्थापना में सहायता करने के लिए प्लास्टिक पार्क स्कीम अधिसूचित की है। इस स्कीम का उद्देश्य प्लास्टिक क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और निर्यात को बढ़ाना है। रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देने, निर्यातों में वृद्धि करने और क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण से डाउनस्ट्रीम उद्योग के सह-विकास के साथ रोजगार सृजन करने के लिए पीसीपीआईआर नीति, 2007 नामक एक नीति भी अधिसूचित की गई है। पीसीपीआईआर रसायनों और पेट्रोरसायनों के घरेलू और निर्यात-आधारित उत्पादन के लिए विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे से लैस समर्पित निवेश क्षेत्र हैं। वर्तमान में, पीसीपीआईआर नीति, 2007 के अंतर्गत इन क्षेत्रों में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम), गुजरात (दाहेज) और ओडिशा (पारादीप) राज्यों में तीन पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ख): प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि और किसान कल्याण विभाग उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। देश भर के राज्यों (ग्रामीण जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों सहित) में उर्वरकों की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजनाएं जारी करके राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है। सभी प्रमुख सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक वेब आधारित निगरानी प्रणाली के माध्यम से की जाती है। तथापि, राज्य के भीतर फील्ड आवश्यकता को पूरा करने के लिए उर्वरकों का अंतर/अंत:-जिला वितरण संबंधित राज्य द्वारा किया जा रहा है।

(ग) और (घ): विनिर्मित/आयातित उर्वरक, उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 द्वारा अभिशासित होते हैं जिसमें विभिन्न उर्वरकों के मानक निर्धारित किए गए हैं। उर्वरकों को भारतीय परिस्थितियों में किए गए परीक्षणों के कृषि संबंधी प्रभावकारिता आंकड़ों के आधार पर और तकनीकी समिति अर्थात केन्द्रीय उर्वरक समिति (सीएफसी) की सिफारिशों के आधार पर एफसीओ में शामिल किया जाता है।

सरकार ने यूरिया उत्पादन में ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करके देश में पुरानी/मौजूदा यूरिया विनिर्माण इकाइयों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 1 जून, 2015 को नई यूरिया नीति-2015 शुरू की। इसके अतिरिक्त, नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 के तहत स्थापित इकाइयां उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों/मानकों पर आधारित हैं और अत्यधिक ऊर्जा कुशल हैं। पीएंडके क्षेत्र में हमारी आयात पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग को संसाधन समृद्ध देशों के साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर दीर्घकालिक करारों के माध्यम से आपूर्ति लिंकेज स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

*****